ख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व अहकाम जो की तामील
12/3/18	पत्रावली पेश हुई। वादी व प्रतिवादी उप। पत्रावली मे प्रतिवादी अधि. द्वारा प्रार्थना पत्र पेश किया गया एवं वादी अधि. द्वारा जवाब मौखिक रूप मे दिया गया। पत्रावली मे यह बात सामने आयी, जोकि वादी अधि. द्वारा वाद पत्र में, एवं आम की दोहराई गई की, उसी खसरा नं, एवं उसी खातेदारो के समक्ष, अति. कलेक्टर न्यायालय में 14(4) LR के तहत प्रार्थना पत्र वाद दाखिल होने से पहले किया जा चुका है, जोकि अभी तक निर्णित नही है। आज वादी अधि. द्वारा बहस में बोला गया कि अति. कले. न्यायालय में, 14(4), केवल एक प्रार्थना पत्र है परन्तु उपखण्ड न्यायालय के समक्ष यह 88, 89, 209 के तहत	

declaration का वाद फाइल किया गया है। यह वाद खारिज होने योग्य है, क्योंकि

1) ऐसा वाद तभी इस न्यायालय में लाना उचित है जब 14(5) के तहत कोई प्रार्थना पत्र प्रतिवादी का अलोटमेंट खारिज करने को न लगाया गया हो, क्योंकि 88 धारा मे 14(5) LR सम्मलित है।

2) अब जब प्रार्थना पत्र दाखिल हो ही गया है तो उपरोक्त न्यायालय का जो भी निर्णय होगा, उससे यह वाद प्रभावित होगा। अगर उपरोक्त न्यायालय ने, यह वाद प्रतिवादी के हक मे यानी अलोटमेंट को सही मानते हुए किया, तो यह वाद का कोई मूल नही रह जायेगा और अगर वादी के हक मे हुआ तो उपरोक्त खसरा बिनाम सरकार दर्ज किया जायेगा और उसपर 88 का वाद या पुन: अलोटमेंट तभी होगा,

हुक्म या कार्यवाही मय इनिशिवल्स जज	अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
जब सरकार द्वारा बिनामा जमीन पर कब्जे की दिनांक तय की जायेगी। अतः वाद खारिज किया जाता है।	

उपखण्ड अधिकारी
(राज.)